भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
न्यू मरीन लाईन्स, पो बै सं.11500

सं. 28/19/2006-एम एस/ दिनांक:05 दिसंबर,2006

परिपत्र सं. 03
(2006-2007 श्रंखला)
विषय :प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंकों को सहायिकी प्रदान करने के लिए परिशाधित प्रक्रिया

1. जैसा कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय में दिनांक 20 नंबवर,2006 को संपन्न बैठक में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंको को सूचित किया गया है, प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंको को सहायकिी प्रदान करे के संबंध में परिशोधित प्रक्रिया को वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्राप्त चुका है। इस उद्देश्य के लिए चार प्रपत्र अर्थात् प्रपत्र I से IV बनाए गए है, जो तत्काल संदर्भ तथा प्रयोग के लिए संलग्न है। यह देखा सकता है। कि प्रपत्र I से III बैंक वार इकाई वार सहायिकी आवश्यकता निकालने के लिए प्रत्येक तिमाही में सभी प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंकों/सहयोगिता प्रा.ऋ.संस्थानों द्वारा जमा करने हैं। प्रपत्र IV प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की समग्र प्रगति का बृहत् आधार पर निर्धारण करने के लिए मासिक आधार पर जमा करने हैं। वस्त्र आयुक्त कार्यालय प्रपत्र IV के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी की प्रपत्र I से III द्वारा जमा की गई जानकारी से पुन: जांच करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की प्रगति तथा संबंधित बैंकों द्वारा दावा की गई निधि में असंगति न हो। टी-2 प्रपत्र भी संलग्न है जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत संस्थापित की जा रही मशीनों की किस्मों की जानकारी समेकित करने के लिए है।

2. प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंकों/सहायोजित प्राथमिक ऋण संस्थानों से अनुरोध है कि संलग्न निर्धारित प्रपत्रों (I से IV तथा टी-2) में जानकारी सहयोजित प्रा. ऋ. संस्थानों के मामले में प्राथमिक नोडल अभिकरण केवल निधि की आवश्यकता प्रस्तुत करेंगे, इकाई वार आंकडे से सहयोगित प्रा. ऋ. संस्थानों द्वारा विहित प्रपत्रों (I से IV तथा टी-2) में जमा करने होंगे।
3. चार प्रपत्रों के अलावा , प्राथमिक नोडल अभिकरण/नोडल बैंक/सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय का उपयोग प्रमाण पत्र इकाई वार प्रदत्त सहायिकी तथा अगली तिमाही के लिए दावा, जो प्रपत्र I से IV में दिए गए इकाईवार ब्यौरे से मिलता जुलता होना चाहिए जारी करेंगे । सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों के मामले में, प्राथमिक नोडल अभिकरण सहयोजित

प्रा.ऋ.संस्थानवार उपयोग प्रमाण पत्र तैयार करेंगे जबकि सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थान प्रदत्त सहायिकी का इकाईवार विवरण जमा करेंगे। वस्त्र आयुक्त कार्यालय बैंक वार निधि की आवश्यकता , उसी तरह बैंक द्वारा प्रदान की गई राशि, उनके द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की जाँच करेगा और सहायिकी दावे संबंधित बैंकों द्वारा निधि जारी करने हेतु वस्त्र मंत्रालय को अग्रेषित करेगा।

4. इस उद्देश्य के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा एक व्यापक सॉफ्टवेअर विकसित किया जा रहा है और आंकड़ों का आदान प्रदान सुकर बनाने के लिए अभिकरणों/नोडल बैंकों/सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि इस बीच प्रपत्र IV के अनुसार मूलभूत आंकडें सभी बैंको द्वारा समेकित किए जाए। दिसंबर 2006 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक वार सहायिकी प्रपत्र I से IV में बिना असंगति के आंकडें तथा इकाई वार प्रदत्त सहायिकी के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।

5. परिशोधित प्रक्रिया 01 जनवरी 2007 से लागू होगी। प्राथमिक नोडल अभिकरणों/नोडल बैंकों/सहायोजित प्राथमिक ऋण संस्थान दिसंबर 2006 को समाप्त तिमाही के लिए सहायिकी हेतु दावे करने के लिए इन प्रपत्रों में आंकडें जमा करेंगे।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में किए गए उपरोक्त आशोधनों/स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

प्रति

1. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
2. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी वि.क.संस्थान
3. सभी प्रमुख वस्त्र औद्योगिक संगठनों/व्यापार संगठनों/अखिल भारतीय औद्योगिक संगठनों/चेबर्स ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्रीज
4. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
5. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
6. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
7. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
8. सभी ई.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक
9. विकास आयुक्त (हथकरघा)
10. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
11. पटसन आयुक्त
12. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
13. महानिदेशक, एनआईएफटी
14. प्रमुख समाचार एजेन्सियों ।

इस अनुरोध के साथ कि वे टफ्स में उपरोक्त संशोधनो/सुधारों सहित इसे समाचार पत्रों/पाक्षिकों/पत्रिकाओं इत्यादि में प्रकाशित करके सभी संबंधितों के ध्यान में लायें।

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री सुब्रीप्तो रॉय, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
3. श्री मनीष गुप्ता, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
4. श्री विजय कुमार, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त